रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1976/माघ 21, 1897

No. 72] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 1976 /MAGHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 10th February 1976

S.O. 95(E).—In exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect, the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[No. F. 21/1/75-A.E.I. (III)]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

का० आ० 95 (अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियन्त्रण आदेश, 1959 को, उन बातों के सिवाय, तुरन्त प्रभावी रूप से विखण्डित करती है, जो ऐसे विखण्डन से पूर्व की गई हों या किए जाने से छोड़ दी गई हों ।

[सं० फा० 21/1/75-ए० ई० आई० (III)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976